

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट क मशर (क.नि.) खण्ड-I, वा.क. कोटद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ सस्टेंट क मशर (क.नि.) खण्ड-I, वा.क. कोटद्वार के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 21.03.2018 से 27.03.2018 तक श्री एन.के. सन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अजय त्यागी, श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 16.12.2015 से 28.12.2015 तक श्री ए.के.भारतीय लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 03/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

- 2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र:

- (ii)(अ) राजस्व ववरण:

वगत तीन वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष | अर्जित राजस्व (₹ लाख में) |
|---------|---------------------------|
| 2014-15 | 334.56 |
| 2015-16 | 789.04 |
| 2016-17 | 827.08 |

- (ii) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

| वर्ष | बजट आबंटन | | व्यय | | बचत | |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | आयोज नागत | आयोजनेतर | आयोजनागत | आयोजनेतर | आयोजनागत | आयोजनेतर |
| 2014-15 | | | | | | |
| 2015-16 | | | | लागू नहीं | | |
| 2016-17 | | | | | | |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय अ धक्य (+) | बचत (-) |
|-----------|--------------|------------------|---------|-----------------|---------|
| | | | | | |
| लागू नहीं | | | | | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'B'... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव- आयुक्त कर- एडशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डप्टी- सहायक आयुक्त- वाणज्य कर अधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वध: लेखापरीक्षा में कार्यालय असस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-1, वा.क. कोटद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय असस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-1, वा.क. कोटद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तुतः जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2016 एवं 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:1 - कर का न्यूनारोपण ₹ 3.53 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धत कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(a) के प्रावधानों के अंतर्गत कसी भी अनुसूची से भन्न वस्तु की बिक्री पर करदेयता 12.5% की दर से निर्धारित की गयी थी तथा दिनांक 01.04.2010 से अवर्गीकृत वस्तुओं पर 1 प्रतिशत की अतिरिक्त कर देयता निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय असस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-प्रथम, वाणज्य कर, कोटद्वार की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री वनायक एण्टरप्राइजेज, कोटद्वार, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा संगत वर्ष में ₹ 41,47,477/- की प्रान्तीय कुरकुरे, चप्स की बिक्री 5% की दर से की गयी थी। जब क उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धत कर अधिनियम 2005 की कसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है, अतः उक्त वस्तु की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5-5) से ₹ 3,52,535/- का अतिरिक्त कर-आरोपणीय था। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। जिसकी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 42/2009-10 | | 01,STAN-02 |
| 37/2015-16 | | 01,041, |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय असस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-I, वा.क. कोर्टद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
2. सतत् अनियमतताएः
टिप्पणी- शून्य
3. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम सं० | नाम | पदनाम |
|----------|-------------------------|------------|
| 1 | श्रीमती मीनाक्षी त्यागी | अ स. क मशर |

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनियमतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय असस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-I, वा.क. कोर्टद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र